न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 55/2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	बनाम	1. अभिषेक किसन तिरपुडे पुत्र किसन तिरपुडे मैसर्स एवेन्यु सुपरमार्टस लिमिटेड, प्लोट नं. 1/4 अशोक टॉवर, अजमेर रोड, भीलवाडा 2. अनिल मिश्रा पुत्र लोकपाल मिश्रा, मैसर्स एवेन्यु सुपरमार्टस लिमिटेड, प्लोट नं. 1/4 अशोक टॉवर, अजमेर रोड, भीलवाडा 3. सुधीर कुमार खण्डेलवाल पुत्र नोरतमल मैसर्स तिरूपति एजेन्सी, के – 5 किशनगंज, अजमेर 4. हितेश केशवभाई परसुरेया पुत्र केशवभाई परसुरेया मैसर्स फेबल फुड प्रोडक्टस प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 220, जीआईडीसी इण्ड, स्टेट, उमरगांव, गुजरात
– प्रार्थी		विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 श्री राकेश जैन अधिवक्ता – विपक्षीगणों की ओर से

आदेश

दिनांक 29.01.2025

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी अभिषेक किसन तिरपुडे पुत्र किसन तिरपुडे मैसर्स एवेन्यु सुपरमार्टस लिमिटेड, प्लोट नं. 1/4 अशोक टॉवर, अजमेर रोड, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को तेल, चावल, आटा, घी व अन्य सामान आदि का विकय कर रहा था। अभिषेक किसन तिरपुडे पुत्र किसन तिरपुडे मैसर्स एवेन्यु सुपरमार्टस लिमिटेड, प्लोट नं. 1/4 अशोक टॉवर, अजमेर रोड, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विकेता फर्म पर 1–1 लीटर के लगभग 48 पैकेट घी (ब्राण्ड आबाद) के विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जॉच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगषाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेष करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)